राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा), शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 5(14)ग्रावि/नरेगा/विविध/10–11 जयपुर, दिनांक: 04 MAR 2014

बैठक कार्यवाही विवरण

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य लाईन विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने एव अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स/डवटेल के द्वारा अधिक कार्य कराए जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 06.02.2014 को दोपहर 12:30 बजे कमेटी रूम प्रथम में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत कराया कि लाइन विभागों से मनरेगा योजना में कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, अन्य लाईन विभाग की योजनाओं के साथ डॅवटेल/कन्वर्जेन्स करना एवं विभागीय कार्यों में तकनीकी सलाह व सहयोग देना, तीन मुख्य एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण परियोजना निदेशक, ईजीएस द्वारा किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्य सचिव द्वारा लाइन विभागो के अधिकारियों को मनरेगा योजना में विभाग की कम भागीदारी के कारणों, वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों की जानकारी तथा योजना के क्रियान्वयन में महसूस की जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में जानकारी देने बाबत निर्देशित करने पर विभागवार अवगत कराई गई प्रगति एवं मुख्य समस्याऐं निम्न प्रकार है :–

1. **सार्वजनिक निर्माण विभाग–**

- विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा अवगत कराया कि विभाग द्वारा वर्तमान में सड़कों पर पौधारोपण का कार्य, बर्म्स रिपेयर एवं ग्रेवल सड़कों का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा सड़कों के दोनों तरफ पौधारोपण के लिए प्रथम चरण में उदयपुर जिले की सड़कों का चयन किया गया है तथा जिले के वन अधिकारियों से पौधारोपण के लिए सम्पर्क करने पर उन्होंने अवगत कराया कि पौधारोपण का कार्य वर्षा ऋतु में माह जुलाई व अगस्त, 2014 में किया जाना है, उस वक्त संबंधित पंचायत समिति द्वारा नरेगा श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, जिससे कार्य अधूरा ही रह जाता है।
- वन विभाग द्वारा पौधारोपण के लिए सामग्री मद का तकमीना वन विभाग की बीएसआर से बनाया गया है। इस पर निर्णय लिया जाना वांछनीय है कि तकमीना विभागीय बीएसआर पर बनाया जाना है या ग्रामीण विकास विभाग की बीएसआर पर।
- विभाग द्वारा विद्यमान डामर सड़कों की पटरियों की मरम्मत का कार्य पूर्ववर्ती वर्षों में बहुतायत से कराया गया था, परन्तु आयुक्त नरेगा के पत्र द्वारा उक्त कार्य पर रोक लगा दी गई। अतः तभी से इस प्रकार के कार्य बन्द हैं।

- योजनान्तर्गत श्रम सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जाता था, परन्तु अब उक्त अनुपात ब्लॉक स्तर पर संधारित किया जाना है, अतः पूर्व में कराये जा रहे आरयूबी के कार्य वर्तमान में सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं है।

2. **जल संसाधन विभाग–**

- विभाग के शासन सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा नहरों की लाइनिंग व डिसिल्टिंग का कार्य बहुतायत से कराया जाता है, परन्तु विभिन्न जिलों में विभाग के ऐसे 8000 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक लम्बित है।
- विभागीय प्रक्रिया अनुरूप पारदर्शी तरीके से निविदा आमंत्रण में कार्यों की दरें बीएसआर से 10 प्रतिशत या इससे अधिक आने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण से इतने कार्यों की स्वीकृति अभी तक लम्बित है। अतः विभागीय स्तर पर इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिये जाने की आवश्यकता है।
- सिंचाई विभाग से पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित 300 हैक्टेयर तक के कैचमेंट एरिया से छोटे 3000 तालाबों की डिसिल्टिंग का कार्य मनरेगा योजना के तहत कराया जा सकता है।

3. **कृषि विभाग–**

- विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय स्तर पर वैयक्तिक लाभार्थी कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य कराये जाने का विकल्प नहीं है।
- वैयक्तिक लाभार्थी कार्यों में लाभार्थी के चयन में मनरेगा एवं कृषि विभाग दोनों के मापदण्ड अलग–अलग है। मनरेगा योजना में केवल एससी, एसटी, बीपीएल केटेगरी के लाभार्थियों को ही शामिल किया गया है, तथा इन सभी लाभार्थियों के कार्य पूर्ण होने पर ही लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों पर कार्य करवाये जा सकते है।

4. **वन विभाग–**

- विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा ईको रेस्टोरेशन के तहत वन क्षेत्र की पक्की चार दीवारी के कार्य कराये जा रहे थे, परन्तु अब श्रम सामग्री का अनुपात ब्लॉक स्तर पर संधारित किया जाना है, अतः उक्त कार्य मनरेगा योजना में सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
- विभाग द्वारा वन भूमि पर भू–संरक्षण के कार्य यथा चैक डैम निर्माण, एनीकट निर्माण, फार्म पोण्ड निर्माण आदि पर मा. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। अतः अब इस तरह के कार्य भी विभाग द्वारा नहीं कराये जा रहे है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है।